बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 367333 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक- 27.04.2018

BRDS ग्रा0वि0- स्था- 104/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषयः- **महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मजदूरों को जॉबकार्ड निर्गत करने के संबंध में दिशा-निर्देश ।**

प्रसंगः- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक J-11018/1/9/2017-MGNREGA-RE-IV (353533) दिनांक-28.08.2017 ।

महाशय,

महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उनके अधिकार स्वरूप समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है । 100 दिनों का अकुशल मजदूरी प्राप्त करना प्रत्येक जॉब कार्डधारक का अधिकार होता है । जॉब कार्ड परिवार के सदस्यों के लिए मूल पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है । महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के अनुसूची II के पैरा एक से छः में जॉब कार्ड के अधिकार एवं संधारण के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया गया है । पैरा 3 के अनुसार जारी किया गया जॉब कार्ड कम से कम पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा, जिसके पश्चात् इसे सम्यक सत्यापन के पश्चात् नवीकृत किया जा सकेगा।

विदित हो कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 में जॉब कार्ड जारी किया गया था तथा अब इसके जारी होने के पाँच वर्ष पूरे हो गये है । साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जॉबकार्ड के सांकेतिक ढांचा को उपलब्ध कराते हुये, मनरेगा अंतर्गत राज्य के सभी मजदूरों को एक-समान जॉबकार्ड उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है । इस क्रम में राज्य के सभी मनरेगा कर्मियों को Good Governance के तहत कार्यशाला आयोजित कर नये जॉब कार्ड के सांकेतिक ढांचा के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

उपरोक्त के आलोक में नये जॉब कार्ड का मुद्रण का कार्य राज्य स्तर पर कराया जा रहा है तथा मई माह के अंत तक सभी जिलों को सक्रिय जॉब कार्डधारियों की संख्या के अनुरूप जॉब कार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

Scanned by CamScanner

वित्तीय वर्ष 2013-14 में सभी मजदूरों को जॉबकार्ड वितरित किया गया था, जिसमें पर्याप्त खाली पृष्ट उपलब्ध होंगे । मजदूरों को नये जॉबकार्ड उपलब्ध हो जाने तक पुराने जॉबकार्ड में ही आवश्यक विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है ।जॉबकार्ड अद्यतन करने एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में निम्न निदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए :

जॉबकार्ड अद्यतन करने एवं अनुश्रवण की जवाबदेही -

- **पंचायत रोजगार सेवक :** माह में दो बार (पाक्षिक) पंचायत रोजगार सेवक द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत मजदूरों के जॉबकार्ड को अद्यतन किया जायेगा
- **कार्यक्रम पदाधिकारी** : प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एक अनुश्रवण टीम का गठन किया जायेगा जो नियत अवधि पर पंचायतों में जाकर जॉबकार्ड के अद्यतीकरण की स्थिति की जाँच कर मासिक प्रतिवेदन कार्यक्रम पदाधिकारी को समार्पित करेगें । कार्यक्रम पदाधिकारी प्रत्येक माह पंचायतवार निरीक्षण किये गये जॉबकार्ड की संख्या का प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त को समर्पित करेगें ।
- **जिला स्तरीय पदाधिकारी:** मनरेगा रोजगार दिवस निरीक्षण के दौरान वरीय उप समाहर्ता/जिला स्तरीय पदाधिकारी जॉबकार्ड की अवस्था एवं उसके अद्यतीकरण की स्थिति की जॉच करेगें । उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक उपरोक्त का निरंतर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि नया जॉब कार्ड वितरण होने तक पुराने जॉब कार्ड का ही अद्यतीकरण एवं इसका अनुश्रवण करवाना सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन

27/4/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव ।

Scanned by CamScanner